

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक प.1(1)चिस्वा/2/2025

जयपुर, दिनांक :

आदेश

डा. नवीन्द्र पाठक, उप निदेशक (डीआईएचबीटी), जिला चिकित्सालय, टोंक को जिला चिकित्सालय, टोंक का प्रमुख चिकित्सा अधिकारी नियुक्त किया जाता है तथा सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम 3 के अन्तर्गत कार्यालयाध्यक्ष घोषित करते हुए आहरण एवं वितरण अधिकारी की शक्तियां एतद द्वारा प्रदान की जाती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(प्रीति माथुर)
संयुक्त शासन सचिव,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2)
विभाग एवं पचायती राज
(चिकित्सा) विभाग

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, मा. चिकित्सा मंत्री महोदय
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
3. संबंधित जिला कलक्टर, राज.
4. निदेशक (जन स्वास्थ्य/प. क.), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ राज. जयपुर
5. संबंधित संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जोन, राज.
6. संबंधित प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय, राज.
7. संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राज.
8. संबंधित कोषाधिकारी, राज.
9. संबंधित अधिकारी
10. कम्प्यूटर सेल/निजी/रक्षित पत्रावली
11. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश आज ही विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करावें।

संयुक्त शासन सचिव

Document certified by Preeti Mathur
<medicaldepartmentgroup2@gmail.com>.
Digitally Signed by Preeti Mathur
Designation: Joint Secretary
To Government
Date :16-04-2025 05:47:43